Fourteenth Loksabha

Session : 6
Date : 15-12-2005

Participants : Tripathi Shri Chandramani

an>

Title : Need to accord recognition of 'Post B.Sc. diploma in Pharmacy' course in Awadesh Pratap Singh University under Reeva Constituency.

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान रीवा विश्वविद्यालय जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, सरकार के नाम पर, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी की तरफ आकर्ति करना चाहता हूं। र्वा 1994 में डिप्लोमा इन फार्मेसी खोला गया। हिन्दुस्तान के सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिद, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उसे मान्यता प्राप्त है, मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है। 276 छात्रों ने 8631 रूपये फीस देकर के एडमशिन लिया। कोई डेढ़-दो साल तक उन्होंने पढ़ाई की, इसके बाद उनको अंक सूची दी गई। उसको लेकर वे मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो उनसे कहा गया कि इन्हें तो इस कोर्स की मान्यता ही नहीं है। वे लड़के इतनी राशि खर्च करने के बाद आज दर-दर भटक रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा, वहां से जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे हाई कोर्ट गए। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि तीन महीने के भीतर इनकी समस्या का निराकरण किया जाए, लेकिन वह आज तक नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार के नाम पर धोखाधड़ी की गई है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सैक्शन 42 सब-सैक्शन-1 की व्यवस्था और निर्देशों के अनुसार 1984 में उन लड़कों का भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कला या विज्ञान संकाय में हायर सैकेंड्री पास lÉä[MSOffice83]।

उन लड़कों ने फीस देकर विज्ञापन के आधार पर बीएससी में 55 प्रतिशत नम्बर प्राप्त करने के बाद एक कोर्स किया, प्रायोजित परीक्षा पास की, डिज़र्टेशन किया और उसके बाद उनको जो डिप्लोमा दिया गया, उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा है। बाद में वह कोर्स बंद हो गया।

मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, क्योंकि यह धोखाधड़ी उसके नाम पर हुई है, किसी सामान्य जालसाज ने यह धोखाधड़ी नहीं की है, एक शैक्षणिक संस्थान ने धोखाधड़ी की है, इसलिए कम से कम इतनी व्य वस्था करें कि वे 239 डिप्लोमाधारी छात्र, जिन्हें एक साल हुआ है, उन्हें मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन दिया जाए ताकि वे अपना मेडीकल स्टोर खोल सकें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Avinash, Khanna, you are allowed to raise only one matter.